पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा ी में जरिये ईकबाली जवाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के न पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादपत्र माफिक ईकबाली जवाब में वर्णित पैराज स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण या 1 से 7 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जवाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति क्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकवाली जवाब अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु हरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबंदी, व शपथ पत्र आदि व ादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जवाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 8 राजपैरोकार को केवल परफोर्मार पक्षकार बनाया गया है। बंटवाड़े के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है। हमारी राय में मौजा डिडिया कलां के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है।

अराजी खसरान् में मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होने से राजहक में नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। अतः मौजा डिडिया कलां के खसरा नम्बर 500 रकबा 0.9308 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 502 रकबा 2.2258 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 569 रकबा 1.2464 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 7 को सहखातेदार कृषक घोषित करते हुए वाद पत्र को डिक्रि किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः वाद वादी स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

– : आदेश :–

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी बिशनसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः जोरावरसिंह व हरिसिंह के सह हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डिडिया कलां के खसरा नम्बर 500 रकबा 0.9308 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 569 रकबा 1.2464 हैक्टेयर रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 3 नरपतसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा डिडिया कलां के खसरा नम्बर 502 रकबा 2.2258 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 4 से 7 क्रमशः मानवेन्द्रसिंह, सूरजकंवर, उच्छबकंवर एंव कंचनकंवर द्वारा अपने हक हिस्से का त्याग करने से मामला हक त्याग के द्वारा भूमि अन्तरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर नाम हटाये जाने के आदेश दिये जाते है।
4. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने पर)

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 09.12.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner